न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 30/2022

श्री मौजीराम मीणा निवासी ग्राम राजधिराजपुरा, ग्राम पंचायत तुर्किया, तहसील निवाई जिला टोंक राज0 --अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 25.08.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 31.5.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने उनके पत्र क्रमांक 495 दिनाक 17.06.2022 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

प्रार्थी के प्रकरण संख्या 220/1989 उनवान गंगासहाय बनाम मन्ना में सहायक कलक्टर, प्रथम टोंक से पारित निर्णय दिनांक 26.05.1998 की मूल पत्रावली को ढूंढकर के उसके सम्पूर्ण पृष्ठों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जावें तथा साथ ही यह भी निवेदन है कि निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा उक्त पत्रावली की मांग की गई है। अतः कृपया मण्डल से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में उक्त पत्रावली को निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र क्रिमांक 750 दिनांक 25.07.2022 व 817 दिनांक 08.08.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा पत्र क्रमांकःरिकार्ड/2022/389 दिनांक 22–08–2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र क्रमांक आरटीआई/2022/490 दिनांक 29.06.2022 से सूचित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः [illegible] कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट [illegible] निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट [illegible]क तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:32:03 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक